

भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2616

04 अगस्त, 2026 को उत्तरार्थ

विषय- राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि संबंधी मिशन की प्रगति

2616. श्री पुष्पेंद्र सरोजः

श्री मोहिबुल्लाहः

श्रीमती डिम्पल यादवः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि संबंधी मिशन के अंतर्गत कवर किए गए क्षेत्र, जिलों की संख्या, प्रशिक्षित किसानों और जारी की गई वित्तीय सहायता को इंगित करते हुए राज्य-वार और विशेषकर उत्तर प्रदेश के लिए जिला-वार वर्गीकृत हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को किसी केंद्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत गौशाला में तैयार किए गए जैविक उर्वरकों को बढ़ावा देने हेतु उत्तर प्रदेश से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो प्राप्त और स्वीकृत प्रस्तावों, तथा स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई निधि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने पीएम-प्रणाम योजना के अंतर्गत रासायनिक उर्वरकों की खपत पर प्राकृतिक खेती के प्रभाव का आकलन किया है और यदि हां, तो उत्तर प्रदेश को जारी किए गए प्रोत्साहनों सहित उत्तर प्रदेश के लिए जिला-वार वर्गीकृत तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में जारी किए गए मृदा स्वास्थ्य कार्डों की संख्या कितनी है तथा किसानों द्वारा अधिक संख्या में इनको अपनाया जाना सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ङ) उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक खेती की उपज के लिए प्रमाणीकरण, मूल्यवर्धन और बाजार पहुंच को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) और (ख): राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ) के अंतर्गत अब तक हुई प्रगति का विवरण, जिसमें राज्य-वार क्षेत्रफल, किसानों की संख्या और जारी की गई वित्तीय सहायता को दर्शाया गया है, अनुबंध-1 में दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी गई जिलावार जानकारी अनुबंध-II में दी गई है। एनएमएनएफ में आवश्यकता-आधारित जैव-इनपुट संसाधन केंद्र (बीआरसी) स्थापित किए जाने का प्रावधान है। बीआरसी आवश्यक मात्रा में गोमूत्र और गोबर की आपूर्ति के लिए गौशालाओं के पास स्थापित किए जा सकते हैं। बीआरसी उन किसानों को प्राकृतिक खेती हेतु उपयोग के लिए तैयार जैव-इनपुट उपलब्ध कराते हैं जो खुद ऑन-फार्म इनपुट का उत्पादन नहीं कर पाते हैं। जैव-इनपुट मृदा स्वास्थ्य और पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं और रासायनिक कीटनाशकों पर निर्भरता को कम करते हैं। अब तक उत्तर प्रदेश राज्य में 83 बीआरसी स्थापित किए जा चुके हैं।

(ग): आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने दिनांक 28 जून, 2023 को "धरती-माता के संरक्षण, जागरूकता सृजन, पोषण और उन्नति के लिए पीएम कार्यक्रम (पीएम-प्रणाम)" को मंजूरी दी। इस पहल का उद्देश्य उर्वरक के सतत और संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने, वैकल्पिक उर्वरकों को अपनाने, जैविक खेती को बढ़ावा देने और संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकियों को लागू करने के माध्यम से धरती माता के स्वास्थ्य को संरक्षित करना है।

पीएम-प्रणाम योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को किसी वित्तीय वर्ष में पिछले तीन वर्षों की औसत खपत की तुलना में रासायनिक उर्वरकों (यूरिया, डीएपी, एनपीके, एमओपी) की खपत में कमी लाने पर उर्वरक सब्सिडी की बचत के 50% के बराबर प्रोत्साहन राशि प्रदान किए जाने का प्रावधान है।

पीएम-प्रणाम योजना के अंतर्गत, 14 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, केरल, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, पुदुचेरी, मणिपुर, गोवा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नागर हवेली) ने वर्ष 2023-24 में पिछले 3 वर्षों की औसत खपत की तुलना में 15.14 लाख मीट्रिक टन रासायनिक उर्वरक (यूरिया, डीएपी, एनपीके और एमओपी) के उपयोग में कमी दर्ज की है। इसी प्रकार, 6 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नगर हवेली, गोवा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर) ने वर्ष 2024-25 में पिछले 3 वर्षों की औसत खपत की तुलना में रासायनिक उर्वरक की खपत में 0.49 लाख मीट्रिक टन की कमी दर्ज की है। 5 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (दादरा और नगर हवेली, दिल्ली, गोवा, मणिपुर और मिजोरम) में वर्ष 2025-26 में पिछले 3 वर्षों की औसत खपत की तुलना में रासायनिक उर्वरक के उपयोग में 0.18 लाख मीट्रिक टन की कमी देखी गई।

(घ): उत्तर प्रदेश राज्य में पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी किए गए मृदा स्वास्थ्य कार्डों (एसएचसी) की संख्या वर्ष 2023-24 में 4.85 लाख, वर्ष 2024-25 में 8.26 लाख और वर्ष 2025-26 में 16.01 लाख रही है। सरकार मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता योजना के माध्यम से उर्वरकों के विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देती है। यह योजना संतुलित और एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए कृषि जोतों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी) प्रदान करती है। एसएचसी को अपनाने और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड की सिफारिशों पर उत्तर प्रदेश में 2,35,750 किसानों के प्रशिक्षण, 20,746 प्रदर्शन और 127 किसान मेले/अभियान आयोजित किए गए हैं।

(ङ): एनएमएनएफ के तहत प्राकृतिक खेती उत्पादों के प्रमाणीकरण के लिए प्राकृतिक कृषि प्रमाणन प्रणाली (एनएफसीएस) की शुरुआत की गई है। एनएफसीएस ने पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम (पीजीएस-इंडिया नेचुरल) के तहत डिजिटल ऑनलाइन प्रमाणन प्रणाली अपनाई है, जिसका लोगो "पीजीएस-इंडिया नेचुरल" है। यह छोटी जोतों वाले किसानों के लिए तैयार की गई एक विकेन्द्रीकृत, प्रशिक्षण आधारित, कम लागत वाली और सहकर्मी-समीक्षित प्रमाणन प्रणाली है। यह प्रणाली कृषि उत्पादों और प्राथमिक प्रसंस्कृत वस्तुओं के प्रमाणन को सम्मिलित करते हुए मानकों की एकरूपता और एंड-टू-एंड ट्रेसबिलिटी सुनिश्चित करती है।

प्राकृतिक खेती प्रमाणित उत्पाद बाजार के साथ-साथ ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) पर बिजनेस टू कंज्यूमर बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में एनएफसीएस के तहत अब तक 2.45 लाख से अधिक किसान पंजीकृत हो चुके हैं और 2.19 लाख से अधिक किसानों को प्राकृतिक खेती प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं।

अनुबंध - I

दिनांक 30.07.2026 तक राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र, जिलों की संख्या, प्रशिक्षित किसानों की संख्या और जारी की गई वित्तीय सहायता का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण।

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	क्लस्टर गठन	किसान नामांकन	कवर क्षेत्र (हेक्टेयर में)	जारी बजट
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	4	500	200.00	30.10
2	आंध्र प्रदेश	5931	651567	428252.56	14839.61
3	अरुणाचल प्रदेश	270	17982	8805.32	1605.69
4	असम	76	6683	4884.10	486.53
5	बिहार	564	57815	26855.31	2138.33
6	छत्तीसगढ़	592	72058	31505.42	3871.16
7	दिल्ली	6	375	150.00	41.86
8	गोवा	13	1623	630.89	71.71
9	गुजरात	1376	151108	61919.23	5905.08
10	हरियाणा	227	12686	10703.21	874.17
11	हिमाचल प्रदेश	648	76628	27852.32	4965.17
12	जम्मू एवं कश्मीर	240	24291	10905.05	2066.35
13	झारखंड	204	14312	5686.88	438.00
14	कर्नाटक	1266	133540	58136.80	7020.51
15	केरल	141	19227	8210.15	779.09
16	लद्दाख	4	621	175.62	71.98
17	मध्य प्रदेश	1899	168100	91199.66	9586.17
18	महाराष्ट्र	2197	204457	63014.96	10904.00
19	मणिपुर	144	16077	6364.63	1211.64
20	मेघालय	166	9617	3223.40	851.42
21	मिजोरम	363	22110	15800.14	1748.90
22	नागालैंड	298	17996	103391.62	2117.64

23	ओडिशा	581	74484	29683.65	2418.92
24	पुदुचेरी	6	772	256.25	73.39
25	पंजाब	80	6152	2688.28	400.36
26	राजस्थान	2814	266596	112865.58	10629.55
27	तमिलनाडु	76	8072	3509.91	542.84
28	तेलंगाना	634	70903	39699.13	1802.45
29	त्रिपुरा	336	33643	11188.99	2087.56
30	उत्तर प्रदेश	2324	290500	.116200.00	11104.86
31	उत्तराखंड	257	29782	10066.55	1437.16
32	पश्चिम बंगाल	294	9000	3600.00	784.00
	कुल	24031	2469277	1181425.73	102906.19

इस मिशन के अंतर्गत विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के लिए वर्ष 2025-26 तक आने वाले क्षेत्र, जिलों की संख्या, प्रशिक्षित किसानों की संख्या और आवंटित वित्तीय सहायता का जिलावार विवरण।

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	ज़िला	क्लस्टर	लाभान्वित किसान	कवर क्षेत्र (हेक्टेयर)	आवंटन
1	हाथरस	10	1,250	500	32.54
2	बलरामपुर	23	2,875	1,150	39.62
3	मथुरा	42	5,250	2,100	89.53
4	रायबरेली	20	2,500	1,000	67.29
5	हरदोई	20	2,500	1,000	46.93
6	लखीमपुर	91	11,375	4,550	152.55
7	लखीमपुर खीरी	20	2,500	1,000	72.47
8	आगरा	24	3,000	1,200	66.84
9	सोनभद्र	37	4,625	1,850	107.39
10	बागपत	43	5,375	2,150	163.33
11	सिद्धार्थनगर	36	4,500	1,800	55.95
12	मथौरा*	94	11,750	4,700	269.04
13	फतेहपुर	9	1,125	450	34.35
14	बुलंदशहर	20	2,500	1,000	26.91
15	हमीरपुर	97	12,125	4,850	225.30
16	प्रतापगढ़	22	2,750	1,100	34.50
17	मऊ	21	2,625	1,050	60.61
18	रायबरेली	50	6,250	2,500	132.48
19	बाराबंकी	10	1,250	500	17.33
20	बागपत	10	1,250	500	15.02
21	कानपुर देहात	22	2,750	1,100	79.72
22	सहारनपुर	20	2,500	1,000	65.77
23	आजमगढ़	22	2,750	1,100	44.10
24	जालौन	114	14,250	5,700	228.67
25	बाँदा	118	14,750	5,900	273.40
26	गाजियाबाद	2	250	100	19.06
27	अयोध्या	8	1,000	400	31.88
28	झाँसी	80	10,000	4,000	126.91
29	अमेठी	34	4,250	1,700	53.51
30	संभल	9	1,125	450	16.87
31	बस्ती	17	2,125	850	29.16

32	भदोही	10	1,250	500	17.83
33	रामपुर	37	4,625	1,850	130.98
34	कौशांबी	8	1,000	400	18.16
35	अलीगढ़	10	1,250	500	36.40
36	गौतम बुद्ध नगर	10	1,250	500	32.32
37	चित्रकूट	35	4,375	1,750	64.05
38	मेरठ	26	3,250	1,300	72.23
39	प्रयागराज	12	1,500	600	43.37
40	बरेली	21	2,625	1,050	37.61
41	कौशांबी	8	1,000	400	15.67
42	मुरादाबाद	8	1,000	400	29.89
43	जौनपुर	55	6,875	2,750	109.67
44	श्रावस्ती	20	2,500	1,000	39.80
45	अमेठी	40	5,000	2,000	121.63
46	कन्नौज	10	1,250	500	34.63
47	गोंडा	10	1,250	500	38.21
48	संत कबीर नगर	10	1,250	500	24.63
49	मिर्जापुर	25	3,125	1,250	55.02
50	शामली	22	2,750	1,100	68.10
51	फर्रुखाबाद	20	2,500	1,000	55.21
52	फिरोजाबाद	50	6,250	2,500	169.70
53	देवरिया	64	8,000	3,200	177.25
54	एटा	21	2,625	1,050	40.18
55	सुल्तानपुर	20	2,500	1,000	84.08
56	महाराजगंज	20	2,500	1,000	71.23
57	बिजनौर	10	1,250	500	33.75
58	अज़गर*	26	3,250	1,300	113.69
59	मुजफ्फरनगर	10	1,250	500	43.63
60	कासगंज	26	3,250	1,300	79.27
61	कुशीनगर	41	5,125	2,050	58.92
62	शाहजहांपुर	20	2,500	1,000	39.25
63	अंबेडकर नगर	10	1,250	500	18.82
64	गाजीपुर	50	6,250	2,500	158.15
65	लखनऊ	6	750	300	20.83
66	कानपुर नगर	8	1,000	400	33.94
67	चंदौली	22	2,750	1,100	88.59
68	पीलीभीत	20	2,500	1,000	57.87

69	बदायूं	20	2,500	1,000	33.81
70	बहराइच	120	15,000	6,000	384.34
71	सोनभद्र	80	10,000	4,000	290.71
72	वाराणसी	10	1,250	500	30.85
73	इटावा	20	2,500	1,000	69.00
74	गोरखपुर	100	12,500	5,000	209.28
75	उन्नाव	8	1,000	400	15.14
	कुल	2,324	290,500	116,200	6,046.72
